एम-11015/296/2015-एफडी
भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
(राजकोषीय अंतरण प्रभाग)।

11वां तल, जीवन प्रकाश बिल्डिंग,
के. जी मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक : 29 सितंबर, 2020

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय : पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन पर राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों को मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान करने हेतु गठित समन्वय समिति की 24 सितंबर, 2020 को आयोजित प्रथम बैठक का कार्यवृत्त ।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त उल्लेखित विषय पर दिनांक 24 सितंबर 2020 को आयोजित समन्वय समिति की बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न करने का निदेश दिया गया है।

(तारा चन्द्र
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफ़ैक्स: 011-23753812

संलग्नक: क/क

सेवा में,

1. बैठक में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागी।
2. सभी 28 राज्यों के सचिव/प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, ।

सूचनार्थ के लिए प्रति:

1. एसपीआर के पीपीएस
2. संयुक्त सचिव (एफडी) के निजी सचिव

पंद्रहवें वित्त आयोग (पंद्रहवें वित्त आयोग) की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन पर राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों को मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान करने हेतु सचिव, पंचायती राज मंत्रालय की अध्यक्षता में दिनांक 24 सितंबर, 2020 को अपराह्न 3.00 बजे आयोजित समन्वय समिति की प्रथम बैठक का कार्यवृत्त ।

पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) द्वारा गठित पंद्रहवें वित्त आयोग की समन्वय समिति की प्रथम बैठक सचिव, पंचायती राज मंत्रालय की अध्यक्षता में दिनांक 24 सितंबर, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) के माध्यम से आयोजित की गई। इस बैठक में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की सूची **अनुलग्नक** में दी गई है।

2. श्री के. एस. सेठी, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय की प्रारंभिक टिप्पणियों के बाद, प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए, श्री सुनील कुमार, सचिव, पंचायती राज, (एसपीआर) ने निम्नलिखित प्रारंभिक टिप्पणियां कीं:

- पंद्रहवें वित्त आयोग ने अपने द्वारा यथाअनुशंसित अनुदानों को जारी करना शुरु कर दिया गया है। पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदानों पर समन्वय समिति का गठन किया गया है जिसका एक मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जो अनुदान पंचायतों के तीन स्तरों को जारी किए गए हैं, उन अनुदानों का उपयोग अधिदेशित गतिविधियों के लिए प्रभावी ढंग से किया जाए।

- वित्त आयोग के अनुदान में, विशेषकर बारहवें वित्त आयोग के बाद काफी वृद्धि की गई है और चौदहवें वित्त आयोग के तहत हाल ही में जारी अनुदान तेरहवें वित्त आयोग के अंतर्गत जारी अनुदान की तुलना में तीन गुना से अधिक थे। पंद्रहवें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपनी अंतरिम रिपोर्ट में, पंचायतों को सबसे अधिक वार्षिक आवंटन भी प्रदान किया है।

- एमओपीआर ने राज्य प्राधिकारियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में कई कदम उठाए हैं ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि वित्त आयोग द्वारा बढ़ाई गई निधियों का पंचायतों द्वारा सदुपयोग किया जाए, अर्थात बुनियादी ढांचे के अभाव को कम किया जाए और स्थानीय स्तर की नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से निधियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

- पंचायतों को हस्तांतरित की जा रही वित्त आयोग की निधियों की बड़ी मात्रा को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक है कि निधियों के सदुपयोग की निगरानी सभी स्तरों पर की जाए। वित्त मंत्रालय (एमओएफ) और पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) ने पहले ही इस संबंध में दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि इन दिशानिर्देशों का अनुपालन सख्ती से किया जाए।

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि सार्वजनिक निधि का अपव्यय न हो, केंद्रीय स्तर पर समन्वय समिति और राज्य स्तर पर उच्च स्तरीय निगरानी समितियों (एचएलएमसी) का गठन किया गया है। उच्च स्तरीय निगरानी समितियों (एचएलएमसी) को चाहिए कि वे वित्त आयोग के अनुदानों से योजनाबद्ध गतिविधियों की भौतिक और वित्तीय प्रगति की बारीकी से निगरानी करने हेतु नियमित बैठकें आयोजित करें। इसी प्रकार की प्रणालियाँ राज्यों द्वारा जिला और ब्लॉक स्तरों पर भी स्थापित की जानी हैं।

3. तत्पश्चात्, पंचायतों को वित्त आयोग अनुदान के विभिन्न पहलुओं को कवर करते हुए संयुक्त सचिव द्वारा पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के साथ-साथ प्रस्तुत कार्यसूची मदों के अनुसार चर्चा की गई।

4. विभिन्न कार्यसूची मदों पर हुए विचार-विमर्श और निर्णयों को नीचे विस्तारपूर्वक वर्णित किया गया है।

1. **चौदहवें वित्त आयोग (एफएफसी) की पंचाट (अवार्ड) अवधि 2015-20 के दौरान जारी अनुदान की स्थिति।**

कार्यसूची मद में यथा प्रस्तुत चौदहवें वित्त आयोग (एफएफसी) के अनुदानों को जारी करने की स्थिति समिति द्वारा नोट की गई।

2. **आर्थिक विकास संस्थान (आईईजी) द्वारा चौदहवें वित्त आयोग के अनुदानों का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन।**

समिति ने आर्थिक विकास संस्थान (आईईजी) द्वारा किए गए अध्ययन से प्राप्त प्रमुख निष्कर्षों पर विचार-विमर्श किया। इस विषय पर विचार-विमर्श के दौरान, निम्नलिखित टिप्पणियां की गईं जिन पर सभी संबंधित प्राधिकारियों से ध्यान आकृष्ट करने की अपेक्षा की गई:

- उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, पंचायतों द्वारा स्वयं के राजस्व स्रोत (ओएसआर) बढ़ाने की आवश्यकता पर अधिक बल नहीं दिया गया है। उच्च स्तरीय प्राधिकारियों द्वारा इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है ताकि इस संबंध में पंचायत स्तर पर कार्रवाई की जा सके। यह भी सुझाव दिया गया कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में संभावित पीआरआई संस्थाओं की पहचान करने हेतु एक मैपिंग प्रक्रिया की शुरुआत की जाए जो अधिकाधिक ओएसआर जुटा सकते हैं और प्रारंभिक चरणों में उन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

- मध्य प्रदेश के एक जिले में गृह एवं जल कर लगाने के पश्चात ओएसआर की उगाही में 400% तक की वृद्धि हुई। किंतु, कई निर्वाचित प्रतिनिधि (ईआर) राजनीतिक कारणों की वजह से ओएसआर की उगाही करने के प्रति इच्छुक नहीं रहते हैं, और 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी करों की दरों को संशोधित नहीं किया गया है।

- दूसरी ओर, कर्नाटक में, विभिन्न स्तरों पर पंचायतों द्वारा राजस्व अर्जन की निगरानी करने हेतु नियमित प्रणाली है और प्रत्येक दो वर्ष में विधि व कानून द्वारा इन दरों को संशोधित किया जाता है। ऐसी प्रणाली के कारण, वे राजस्व संग्रह 90% से अधिक बढ़ा पाए। वे सभी उपलब्ध संपत्तियों की पहचान करने और उनके मूल्य-निर्धारण के लिए पंचतंत्र सॉफ्टवेयर का भी उपयोग करते हैं और पूंजी मूल्य पद्धति के आधार पर कर लगाते हैं।

- असम में, विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप उनके स्वयं के राजस्व स्रोत (ओएसआर) में लगभग 60% की वृद्धि हुई है। पर्यटन क्लस्टरों के रूप में लगभग 9 क्लस्टरों को चिन्हित किया गया है ताकि पंचायतें पर्यटन के माध्यम से राजस्व अर्जित कर सकें।

- पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) की स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) योजना और जल जीवन मिशन (जेजेएम) योजना के स्पष्ट उद्देश्य हैं कि वे अपनी संचालन/रखरखाव की लागत की वसूली करेंगे ताकि उनकी संधारणीयता सुनिश्चित की जा सके।

- एसपीआर ने कार्यसूची मदों पर अवलोकन करते हुए निम्नलिखित टिप्पणियाँ की हैं।

    - ओएसआर की स्थिति अलग-अलग राज्यों में जमीनी स्तर पर भिन्न है, जबकि ओएसआर के लिए कानूनी प्रावधान हैं। फिर भी, कई राज्यों में इन्हें सख्ती से लागू नहीं किया गया है। दक्षिण और पश्चिमी क्षेत्र के साथ-साथ पश्चिम बंगाल आदि भी कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पंचायतों की बेहतर कार्यप्रणाली के कारण ओएसआर का संग्रह अधिक है। फिर भी, पंचायतों के ओएसआर में क्रमिक वृद्धि करने की दिशा में प्रत्येक राज्य में एक नीतिगत निर्णय लेने की आवश्यकता है ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें।

    - डीडीडब्ल्यूएस की योजनाओं पर भारत सरकार के दिशानिर्देशों में पहले से ही सेवाओं के लिए वसूली किए जाने वाले प्रयोक्ता शुल्क के लिए स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया हैं।

- विभिन्न पंचायत स्तरों पर ओएसआर को बढ़ाने की दिशा में किए गए प्रयासों को निरंतर समयावधि में लागू करने की आवश्यकता है क्योंकि रातोंरात सुधार की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, उन मुख्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर ग्राम पंचायतों की पहचान की जा सकती है, जहाँ पहले से ही बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक संचालन चल रहे हैं। ग्राम पंचायतें इन वाणिज्यिक इकाइयों को जल आपूर्ति, अपशिष्ट प्रबंधन आदि जैसी गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान कर सकती हैं और इन सेवाओं से राजस्व प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन, ऐसी सेवाएं उच्च गुणवत्ता के साथ प्रदान की जानी चाहिए, ताकि उपयोगकर्ता इन सेवाओं के लिए भुगतान करने को तैयार हों।

- पंद्रहवें वित्त आयोग से अपनी अंतिम रिपोर्ट में ओएसआर के पहलू की महत्ता को कवर करने की अपेक्षा की जाती है।

- पंचायती राज्य मंत्रालय (एमओपीआर) 'स्वामित्व योजना' क्रियान्वित कर रहा है जिसके माध्यम से पंचायतों में गृह संपत्ति मालिकों को स्वामित्व प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा और इस प्रक्रिया के माध्यम से, संपत्ति कर लगाने के लिए उद्देश्यपरक मानदंड स्थापित किए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग के निरंतर प्रयासों से अगले 4 से 5 वर्षों में ओएसआर स्तर पर पर्याप्त सुधार संभव है।

3. **पंद्रहवें वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2020-21 हेतु ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग (पंद्रहवें वित्त आयोग) की अनुशंसाएँ :**

समिति ने पंचायतों के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा किए गए अनुदानों के संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के प्रावधानों पर विचार किया।

4. **राज्यों को पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान की प्रथम किस्त (अनाबद्ध और आबद्ध Untied and Tied) जारी करना:**

समिति ने सभी 28 राज्यों के लिए 30,375 करोड़ रुपये की बुनियादी (अनाबद्ध, यानी जिस पर कोई शर्त नहीं लगाई गई है) और आबद्ध (यानी जो सशर्त है) अनुदान की पंद्रहवें वित्त आयोग की पहली किस्त क्रमशः दिनांक 17.06.2020 और 15.07.2020 को जारी करने की स्थिति पर विचार किया। एसपीआर ने टिप्पणी की कि कुछ राज्यों ने निर्धारित समय के भीतर पंचायतों को अनुदान जारी नहीं किया है, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए विभिन्न योजनाबद्ध विकास गतिविधियों को शुरु करने में कठिनाइयाँ होंगी। उन्होंने मध्य प्रदेश राज्य का उदाहरण दिया, जहाँ पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान पंचायतों को जारी कराने के लिए पंचायती राज्य मंत्रालय को बार-बार राज्य प्राधिकारियों पर जोर डालना पड़ा ताकि चिन्हित किए गए जिलों/पंचायतों में जीकेआरए गतिविधियों को शुरु किया जा सके। इसलिए, सभी राज्यों के लिए यह जरूरी है कि वे आरएलबी/स्थानीय निकायों को निर्धारित 10 कार्य दिवसों के भीतर पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदानों को जारी करें ताकि केंद्रीय वित्त आयोग की अधिदेशित गतिविधियों को सुचारू रूप से निष्पादित किया जा सके।

5. **चौदहवें वित्त आयोग और पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदानों के हस्तांतरण और उपयोग प्रमाण पत्र (यूसी) / अनुदान हस्तांतरण प्रमाण पत्र (जीटीसी) जमा करने की स्थिति:**

समिति ने राज्यों द्वारा चौदहवें वित्त आयोग/ पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान पंचायतों को जारी करने और उपयोग प्रमाण पत्र / अनुदान हस्तांतरण प्रमाण पत्र (यूसी/जीटीसी) जमा करने की स्थिति पर विचार किया। एसपीआर ने स्पष्ट किया कि जब तक राज्य दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित समय के भीतर पंचायतों को बुनियादी (अनाबद्ध) / आबद्ध अनुदानों की पहली किस्तें जारी नहीं करते हैं, तब तक उक्त राज्यों को अगली किस्तें जारी करना संभव नहीं होगा, इसलिए उन्होंने राज्यों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे समय पर पंचायती राज्य मंत्रालय के पास यूसी/जीटीसी जमा कराएं।

6. **पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदानों के उपयोग और पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदानों की दूसरी किस्त जारी करने के संबंध में दिशानिर्देश:**

समिति ने पंचायती राज्य मंत्रालय और डीडीडब्ल्यूएस द्वारा जारी विभिन्न दिशानिर्देशों के प्रावधानों पर विचार किया।

7. राज्यों में उच्च स्तरीय निगरानी समितियों (एचएलएमसी) का गठन:

समिति ने राज्यों में उच्च स्तरीय निगरानी समितियों (एचएलएमसी) के गठन की स्थिति पर विचार किया। यूपी और कर्नाटक राज्यों ने बताया है कि उनके यहां उच्च स्तरीय निगरानी समितियों (एचएलएमसी) का गठन प्रगति पर है और यह जल्द ही पूरा हो जाएगा। एसपीआर ने बताया कि उच्च स्तरीय निगरानी समितियों (एचएलएमसी) का गठन पहला चरण है जिसके बाद इन समितियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि पंचायतों द्वारा पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदानों के प्रभावी सदुपयोग की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए नियमित बैठकें आयोजित की जाएं। इसी तरह के प्रयास जिला/ब्लॉक स्तर पर भी किए जाने चाहिए। उन्होंने यह भी सलाह दी कि शेष छह राज्यों को भी यथाशीघ्र उच्च स्तरीय निगरानी समिति (एचएलएमसी) का गठन करना चाहिए और तदनुसार पंचायती राज्य मंत्रालय को सूचित करना चाहिए।

8. **ई-ग्रामस्वराज और ऑडिट ऑनलाइन का कार्यान्वयन:**

समिति ने ई-ग्रामस्वराज और ऑडिट ऑनलाइन के कार्यान्वयन की स्थिति पर विचार किया। मध्य प्रदेश के एसीएस-पीआर ने यह बताया कि पंद्रहवें वित्त आयोग के बुनियादी (अनाबद्ध) और आबद्ध अनुदानों तथा भुगतान प्रणालियों के तहत गतिविधियों की योजना बनाने में अपेक्षित लचीलेपन के आधार पर, ईग्रामस्वराज में सुधार हेतु अभी भी कुछ आवश्यकताएं हैं। यह आश्वासन दिया गया कि इस संबंध में सुझाव प्राप्त होने के पश्चात सुव्यवस्थित लेखा मानकों का अनुपालन करते हुए, आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

यूपी के संदर्भ में, यह बताया गया कि लेखापरीक्षा विभाग को पंचायती राज्य मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई निधि से लैपटॉप आदि जैसे आवश्यक आईटी अवसंरचना प्रदान किए गए हैं, और लेखापरीक्षा योजनाएं प्रगति पर हैं। एसपीआर ने कहा कि राज्य को चालू वर्ष के दौरान ग्राम पंचायतों की 100% लेखापरीक्षा ऑडिट ऑनलाइन के माध्यम से पूरा करने का प्रयास करना चाहिए ताकि आगामी पंचायत चुनावों के बाद, नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि अपना कार्यकाल साफ-सुथरे तरीके से शुरु कर सकें।

9. **पंद्रहवे वित्त आयोग (पंद्रहवे वित्त आयोग) के समक्ष रखी गईं प्रस्तुतियाँ:**

समिति ने पंचायती राज्य मंत्रालय द्वारा पंद्रहवे वित्त आयोग को दी गई विभिन्न प्रस्तुतियों पर विचार किया।

10. गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए):

समिति ने छह राज्यों बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जीकेआरए में एमओपीआर से संबंधित गतिविधियों की प्रगति पर गौर किया।

11. जल, स्वच्छता और स्वास्थ्यकर (वाश/WASH) पर मॉडल संविदाएं और सेवा स्तरीय मानदंड (बेंचमार्क)

समिति ने यूनिसेफ के सहयोग से पंचायती राज्य मंत्रालय द्वारा जल, स्वच्छता और स्वास्थ्यकर (वाश) पर मॉडल संविदाएं एवं सेवा स्तरीय मानदंड तैयार करने के प्रयासों पर विचार किया। एसपीआर ने इस बात की जानकारी दी कि पेयजल आपूर्ति और स्थावस्थ्यकर के लिए आबद्ध अनुदानों के रूप में पंद्रहवे वित्त आयोग के आवंटन के 50% को ध्यान में रखते हुए, यह अनिवार्य हो गया है कि पंचायतें उपयोगकर्ताओं को प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करें क्योंकि 'उपयोगकर्ता संतुष्टि' से 'उपयोगकर्ता शुल्क' का नियमित संग्रह होगा, जो कि स्थापित किए गए बुनियादी ढांचे व अवसंरचना के समुचित संचालन और रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। पंचायती राज्य मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए सेवा मानदंड और मसौदा मॉडल संविदा दस्तावेजों, जिन पर ग्राम पंचायतों और सेवा प्रदाताओं द्वारा

हस्ताक्षर किए जाने हैं, से 15वें वित्त आयोग की निधि से आंशिक वित्तपोषण के साथ जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत ग्रामीण (चरण II) के तहत निर्मित कए गए पेयजल और स्वच्छता संबंधी बुनियादी ढांचे के उचित संचालन और रखरखाव में सुविधा प्राप्त होगी। इससे परियोजना की संधारणीयता सुनिश्चित करने में काफी सहायता मिलेगी। इस संबंध में, पंचायत प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को 'सेवा मानदंडों' और जीपी एवं स्थानीय रूप से उपलब्ध कुशल 'सेवा प्रदाताओं' के बीच हस्ताक्षर किए जाने वाले सेवा प्रदायगी संविदाओं को प्रभावी ढंग से संचालित करने के तरीकों एवं उपायों पर एनआईआरओ/एसआईआरडी और अन्य स्थानीय प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से प्रशिक्षण देना होगा और उन्हें सुग्राह्य बनाना होगा। उन्होंने कहा कि सबसे पहले विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उन 18% ग्राम पंचायतों के पीआरआई पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देने पर ध्यान केंद्रित किया जाए, जिन्हें पहले से ही नलबद्ध जलापूर्ति योजना के तहत कवर किया गया है।

12. स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के क्षेत्रों में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का समाधान करना:

समिति ने स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के क्षेत्रों में प्राथमिकताओं के समाधान हेतु दिशानिर्देश दस्तावेजों को तैयार करने के प्रयासों पर विचार किया।

तत्पश्चात, मंत्रालयों/विभागों और राज्यों के विभिन्न प्रतिनिधियों से टिप्पणियां मांगी गईं, जो नीचे दी गई हैं:

- एएस एवं एफए ने इस विषय पर सुझाव दिया कि वित्त आयोग की समन्वय समिति के विचारार्थ विषय (terms of reference) के अनुरूप, वित्त आयोग के अनुदानों के व्यय की प्रगति का विवरण समन्वय समिति की बैठकों में सूचित किया जाना चाहिए। इस विषय पर एक विवरण अगली बैठक से प्रस्तुत किया जा सकता है।
- एएस एवं एफए ने यह भी सुझाव दिया कि ऑडिट ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से वित्तीय लेखापरीक्षा के अलावा, आंतरिक लेखापरीक्षा और सामाजिक लेखापरीक्षा भी महत्वपूर्ण हैं और पंचायतों को इन लेखापरीक्षाओं को भी कराने का अनुदेश दिया जाना चाहिए।
- पीएस - पीआर कर्नाटक ने यह बताया कि राज्य में ग्राम पंचायतों (जीपी) के कुछ समूहों में समान व्यक्ति ही प्रशासक है और ग्राम पंचायतों को सुविधा प्रदान करने के लिए ई-ग्रामस्वराज-पीएफएमएस को संचालित करने हेतु विभिन्न डीएससी की आवश्यकता के मुद्दे को हल करने की आवश्यकता है। एसपीआर ने कहा कि इस मुद्दे का समाधान किया जाएगा, परंतु राज्यों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ग्रामीण स्थानीय निकायों के चुनाव संविधान के उपबंधों के अनुसार बिना किसी विलंब के कराए जाएं।
- सलाहकार, डीडीडब्ल्यूएस ने बताया कि इस वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति के लिए 6.52 करोड़ परिवारों को नल के कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे।।
- अपर सचिव, डीडीडब्ल्यूएस ने कहा कि शीर्ष-वार व्यय को ई-ग्रामस्वराज के माध्यम से दर्शाया/रिपोर्ट किया जाना चाहिए, ताकि विभिन्न गतिविधियों में निधियों के व्यय/उपयोग में स्पष्टता हो।
- एसपीआर ने यह भी आश्वासन दिया कि ई-ग्रामस्वराज अनुप्रयोग में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे ताकि उसे आसानी से अंगीकृत किया जा सके और राज्यों/पंचायतों द्वारा बताई गई जटिलताओं को दूर किया जा सके।

अपनी समापन टिप्पणियों में, एसपीआर ने आश्वासन दिया कि प्रतिभागियों द्वारा दिए गए विभिन्न सुझावों को नोट किया गया है और उन पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि समन्वय समिति की बैठकें प्रत्येक तिमाही में आयोजित की जाएं क्योंकि इससे सदस्यों के साथ नियमित रूप से बातचीत करने और पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान के तहत गतिविधियों की प्रगति की निगरानी करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि पंचायती राज्य मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के अभाव को कम करने की दिशा में अनुदानों के इष्टतम उपयोग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी तरह की सहायता प्रदान करेगा। उन्होंने सभी से सर्वोत्तम प्रथाओं व विधियों (best practices) को साझा करने का आह्वान किया जो हितधारकों को अच्छा शिक्षण अनुभव प्रदान करेगा।

अध्यक्ष को धन्यवाद देते हुए बैठक संपन्न हुई।

******

अनुलग्नक

पंद्रहवें वित्त आयोग की समन्वय समिति की प्रथम बैठक सचिव, पंचायती राज मंत्रालय की अध्यक्षता में दिनांक 24.09.2020 को दोपहर 3.00 बजे आयोजित की गई:

प्रतिभागियों की सूची

क्र. सं.	नाम और पदनाम	मंत्रालय/ संगठन
(i)	(ii)	(iii)
1.	श्री सुनील कुमार, सचिव	पंचायती राज मंत्रालय – अध्यक्ष
2.	श्री संजीव कुमार, एएस एवं एफए	पंचायती राज मंत्रालय
3.	श्री अरुण बरोका, अपर सचिव	पेयजल और स्वच्छता विभाग
4.	श्री के. एस. सेठी, संयुक्त सचिव	पंचायती राज मंत्रालय - सदस्य सचिव
5.	श्री संजीब पाजोशी, संयुक्त सचिव	पंचायती राज मंत्रालय
6.	श्री विश्वजीत बनर्जी, संयुक्त सचिव	ग्रामीण विकास मंत्रालय
7 .	श्री संजय कुमार, संयुक्त सचिव	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
8.	डॉ. भारतेंदु सिंह, निदेशक	व्यय विभाग
9.	श्री **ए.** मुरलीधरन, उप सलाहकार	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
10.	श्री नरेन्द्र सिंह, उप सचिव	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
11.	सुश्री विधु सूद, प्रधान निदेशक	भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय
12.	श्री विजय कुमार, उप सचिव	पंचायती राज मंत्रालय
13.	श्री तारा चंदर, अवर सचिव	पंचायती राज मंत्रालय
14.	श्री जीएस कृष्णन, परामर्शदाता	पंचायती राज मंत्रालय
15 .	सुश्री उमा महादेवन, प्रधान सचिव	पंचायती राज विभाग, कर्नाटक
16.	श्री एल. के. अतीक, प्रधान सचिव	पंचायती राज विभाग, कर्नाटक
17 .	श्री मनोज श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव	पंचायती राज विभाग, मध्य प्रदेश
18 .	श्री सचिन सिन्हा, प्रधान सचिव	पंचायती राज विभाग, मध्य प्रदेश
19 .	श्री बी. एस. जामोद, निदेशक	पंचायती राज विभाग, मध्य प्रदेश
20.	श्री प्रवीण जैन, उप सचिव	पंचायती राज विभाग, महाराष्ट्र

21.	श्री संगडिंगलियाना, सचिव	स्थानीय प्रशासन विभाग, मिजोरम
22 .	श्री लालचविमाविया, संयुक्त निदेशक	स्थानीय प्रशासनिक विभाग, मिजोरम
23 .	श्री एस. एन. दाश, अपर सचिव	पंचायती राज विभाग, ओडिशा
24 .	श्री उमाकांत त्रिपाठी, निदेशक	पंचायती राज विभाग, ओडिशा
25 .	सुश्री किंजल सिंह, निदेशक	पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश
26.	डॉ. सी. कथिरेसन, एसोसिएट प्रोफेसर	एनआईआरडी एवं पीआर, हैदराबाद

*****